

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0जयपुर
क्रमांक:-ई-18/एम/128/से.नि./जोन-जोधपुर/2024/ दिनांक :-

आदेश

श्री भीकसिंह राजपुरोहित, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (जिनकी सर्विसबुक अनुसार जन्म तिथि 05.05.1964 है), की राज्य सेवा में अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने पर राज्य सेवा से सेवानिवृति दिनांक 31.05.2024 से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री भीकसिंह राजपुरोहित, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अधीक्षक, राजकीय बाँगड़ चिकित्सालय, सूरजपोल चौराहे के पास, पाली के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/128/से.नि./जोन-जोधपुर/2024/25
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 09/02/2024

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी, डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
3. अधीक्षक, राजकीय बाँगड़ चिकित्सालय, सूरजपोल चौराहे के पास, पाली के पत्र क्रमांक 4147 दिनांक 22.12.2023 के क्रम में।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0जयपुर

RajKaj Ref
5461014

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.
Digitally Signed by Suresh
Kumar Naval
Designation : Director
Date :06-02-2024 10:31:05